



उचति समायोजन: कल्याण-आधारति दृष्टिकोण

यह एडिटोरियल 22/07/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "[Reasonable accommodations and disability rights](#)" लेख पर आधारित है। इसमें उचति समायोजन (RAs) के लिये कानूनी ढाँचे और दवियांगजनों के लिये कानूनी ढाँचे के कार्यान्वयन में राज्य की भूमिका के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

उचति समायोजन (RAs), [दवियांगजन अधिकार नयिम, 2017](#), [RPwD अधिनियम, 2016](#), [भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992](#), [मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017](#), [सुगम्य भारत अभियान](#), [दीनदयाल वकिलांग पुनर्वास योजना](#), [दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप](#)।

मेन्स के लिये:

उचति समायोजन का महत्त्व, भारत में दवियांगजनों को सशक्त बनाने का मॉडल।

[रीजनबल एकोमोडेसन](#) (Reasonable Accommodations- RAs)—जसिका हदी अनुवाद 'उचति समायोजन' के रूप में कर सकते हैं, का सदिधांत समावेशता और समानता की दशा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह [दवियांगजनों \(Persons with Disabilities- PwDs\)](#) को राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने में पूरी तरह से एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

[दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016](#) के तहत RAs का सदिधांत यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है कि दवियांगजन भी अन्य लोगों के समान अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

[दवियांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन \(UNCRPD\)](#) अनुचित बोझ का निर्धारण करने के लिये दशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके बावजूद, कई भारतीय संस्थान वित्तीय चर्ताओं के कारण RAs की लागतों की पूर्ति में संकोच रखते हैं। इसके अलावा, वे प्रायः लागत-लाभ दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जहाँ दवियांगजनों के कल्याण पर विचार करने के बजाय दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस परिदृश्य में, राज्य को [कल्याण-आधारति दृष्टिकोण](#) अपनाने और RAs से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिये वधिक एवं उचति समायोजन के विषय में स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने होंगे।

उचति समायोजन (RAs) का सदिधांत क्या है?

परचिय:


- उचति समायोजन एक सदिधांत है जसि समानता को बढ़ावा देने और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये अभिकल्पित किया गया है। इन समायोजनों में रैंप या तकनीकी सहायता जैसे भौतिक समायोजन और नौकरी संबंधी आवश्यकताओं या नीतियों में संशोधन शामिल हो सकते हैं। यह सदिधांत मुख्य रूप से दवियांगजनों के अधिकारों के मामले में लागू किया जाता है।

राज्य पर दायित्व:

- इसमें दवियांगजनों को आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य और नजी संस्थाओं दोनों का दायित्व रहित है।
 - ऐसे समायोजनों या सुविधाओं के बिना दवियांगजनों के लिये समता ([अनुच्छेद 14](#)), स्वतंत्रता ([अनुच्छेद 19](#)) और जीवन के अधिकार ([अनुच्छेद 21](#)) जैसी संवैधानिक गारंटी प्रभावी नहीं रहित हो सकती है।

वैश्विक मानक:

- [दवियांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन \(UNCRPD\)](#) के [अनुच्छेद 2](#) के अनुसार, RAs में ऐसे आवश्यक या उचति संशोधन अथवा समायोजन शामिल हैं, जो अनुचित या असंगत बोझ नहीं डालते हैं।



//

RA's का महत्त्व:

- **समान भागीदारी को सक्रम बनाना:**
 - दवियांगजनों और उनके गैर-दवियांग समकक्षों के बीच के अंतराल को दूर करना आवश्यक है। RA's यह सुनश्चिति करने में मदद करते हैं क दवियांगता या नःशिक्रता (**disability**) कसी वयकृती की शकषा, रोजगार या सार्वजनक सेवाओं तक पहुँच में बाधा न बने।
 - उदाहरण: सार्वजनक भवनों में रैप और लफिट उपलब्ध कराने से यह सुनश्चिति होता है क चलन संबंधी नःशिक्रता वाले वयकृती भी अन्य लोगों के समान आवश्यक सेवाओं और सुवधियों का उपयोग कर सकें।
- **समावेशन को बढ़ावा देना:**
 - RA's समावेशन और स्वीकृती की संस्कृती को बढ़ावा देते हैं। ये एक ऐसे परवश के निर्माण के लयि प्रतबिद्धता प्रदर्शति करने के रूप में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और रूढ़ववादति को चुनौती देते हैं जहाँ हर कोई मूल्यवान एवं सम्मानति अनुभव करे।
 - उदाहरण: शैकषक संस्थानों में सांकेतिक भाषा दुभाषयिों (sign language interpreters) की वयवस्था करने से बधरि छात्र भी कक्षा में होने वाली चर्चाओं और अधगम में सक्रयि रूप से भाग ले सकते हैं।
- **मानव अधिकारों का समर्थन:**
 - यह मानव अधिकारों का एक मूलभूत पहलू है, जैसा क दवियांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संधयिों में नहिति है।
 - उदाहरण: दृष्टबिधति वयकृतीयों को सहायक प्रौद्योगिकी प्रदान करने से उन्हें सूचना तक पहुँच प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सहायता मिलती है; इस प्रकार उनके अभवियकृती की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि होती है।
- **आर्थक सशकृतीकरण:**
 - कार्यस्थल पर RA's का होना दवियांगजनों को आर्थक रूप से सशकृ बनाने के लयि अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
 - उदाहरण: दवियांग कर्मचारयिों के लयि कार्य भूमकिया को अनुकूलति करना या उनके लयि लचीली कार्य वयवस्था प्रदान करना, उनके लयि रोजगार को बनाए रखने और करयिर में प्रगत करने में मदद कर सकता है।

भारत में दवियांगता संबंधी प्रमुख अवधारणाएँ

- **परचिय:**
 - जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 2.68 करोड दवियांगजन उपस्थति थे, जो कुल जनसंख्या में 2.21% की हसिसेदारी रखते थे।

■ **दवियांगजन अधकार अधनियम 2016 के अंतरगत दवियांगता के प्रकार:**

- इस अधनियम में 21 प्रकार की दवियांगताओं को चहिनति कया गया है, जनिमें चलन संबधी या लोकोमोटरदवियांगता, दृश्य दवियांगता, श्रवण दवियांगता, वाणी एवं भाषा संबधी दवियांगता, बौद्धिक दवियांगता, बहु दवियांगता, मसुतषिक पक्षाघात (Cerebral Palsy), बौनापन आदि शामिल हैं।

■ **दवियांगता अधकार मॉडल:**

- **चकितिसा मॉडल:** यह वयकतकी दवियांगता और उसके उपचार पर ध्यान केंद्रति करता है।
- **सामाजिक मॉडल:** दवियांगता को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में देखता है और दवियांगजनों के लयि समान अधकारों तथा समाज में उनके एकीकरण की पैरोकारी करता है।
- **मानवाधकार मॉडल:** यह सामाजिक मॉडल पर आधारति है, जसिमें इस बात पर बल दया गया है क दवियांगजनों को सभी मानवाधकारों के समान रूप से उपभोग का अवसर मलिना चाहयि। यह मॉडल सरकारी और नजि दोनों क्षेत्रों के लयि दवियांगजनों की पूरण भागीदारी सुनश्चिति करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को रेखांकति करता है।

■ **प्रमुख वधिान**

- **दवियांगजन अधकार अधनियम 2016:** इसने वर्ष 1995 के अधनियम को प्रतसिथापति कया। इसका उद्देश्य दवियांगजनों के लयि समान अवसर, अधकार संरक्षण और पूरण भागीदारी सुनश्चिति करना है।
- **राषट्रीय टरसुट अधनियम 1999:** राषट्रीय टरसुट अधनियम दवारा ऑटजिम, सेरेब्रल पालसी, मानसकि मंदता और बहु दवियांगता वाले वयकतयों के कल्याण के लयि एक नकिया की स्थापना की गई है।
- **भारतीय पुनरवास परषिद अधनियम, 1992:** यह अधनियम दवियांगता पुनरवास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशकिषण और पंजीकरण को नयित्तरति करता है।
- **मानसकि स्वास्थय देखभाल अधनियम, 2017:** यह अधनियम मानसकि रोग से पीड़ति वयकतयों के अधकारों एवं गरमि की रक्षा करता है।

Disabled Population by Type of Disability (%) India : 2011

Proportion of Disabled Population
by Type of Disability
India : 2011 (%)

Type of Disability	Persons	Males	Females
Total	100.0	100.0	100.0
In Seeing	18.8	17.6	20.2
In Hearing	18.9	17.9	20.2
In Speech	7.5	7.5	7.4
In Movement	20.3	22.5	17.5
Mental Retardation	5.6	5.8	5.4
Mental Illness	2.7	2.8	2.6
Any Other	18.4	18.2	18.6
Multiple Disability	7.9	7.8	8.1

Proportion of Disabled Population
by Type of Disability
India : 2011
(Persons)



Source: C-Series, Table C-20, Census of India 2011

Salient Features The Rights of Persons with Disabilities Bill 2016

Types of Disabilities have been increased from existing 7 to 21

- | | |
|---|--|
| ● Blindness | ● Muscular Dystrophy |
| ● Low-vision | ● Acid Attack victim |
| ● Leprosy Cured persons | ● Parkinson's disease |
| ● Locomotor Disability | ● Multiple Sclerosis |
| ● Dwarfism | ● Thalassemia |
| ● Intellectual Disability | ● Hemophilia |
| ● Mental Illness | ● Sickle Cell disease |
| ● Cerebral Palsy | ● Autism Spectrum Disorder |
| ● Specific Learning Disabilities | ● Chronic Neurological conditions |
| ● Speech and Language disability | ● Multiple Disabilities including deaf blindness |
| ● Hearing Impairment (deaf and hard of hearing) | |



RA's के क्रयान्वयन में संस्थानों के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- वत्तीय बाधाएँ:
 - भारतीय संस्थान दवियांगजनों के लयि RA's लागू कर सकने में अपनी अनच्छिा के लयि प्रायः वत्तीय बाधाओं को प्राथमकि कारण बताते हैं ।
 - भेदभाव वरिधी कानून (जैसे क दवियांगजन अधकिार अधनियम 2016) के अनुपालन का बोझ एक महत्त्वपूर्ण वत्तीय चुनौती के रूप में देखा जाता है ।
- उपयोगतिवादी बनाम कल्याण-आधारति दृष्टकिोण:
 - जब संस्थान RA's की लागतों के लयि पूरी तरह ज़मिमेदार होते हैं तो वे कल्याण-आधारति दृष्टकिोण के बजाय लागत दक्षता पर केंद्रति उपयोगतिवादी दृष्टकिोण अपनाते हैं ।
 - यह दृष्टकिोण दवियांगजनों की आवश्यकताओं एवं अधकिारों की अपेक्षा वत्तीय पहलुओं को अधकि प्राथमकिता देता है, जसिके परिणामस्वरूप प्रायः अपर्याप्त या अनुचति समायोजन की स्थतिबिनती है ।
- पूरवाग्रह और गलत धारणाएँ:
 - संस्थान ऐसे पूरवाग्रहों और गलत धारणाओं से भी प्रभावति हो सकते हैं क दवियांगजन कम उत्पादक होते हैं या उन्हें समायोजति करना अत्यधकि महंगा है ।
- अनुचति बोझ बचाव:
 - संस्थानों द्वारा अनुचति बोझ बचाव (Undue Burden Defense) पर नरिभरता प्रायः कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को दर्शाती है ।
 - संस्थान RA's को क्रयान्वति करने की कठनाई का वास्तवकि रूप से आकलन करने के बजाय लागत से बचने के लयि इस रक्षा या बचाव वकिल्प का उपयोग कर सकते हैं, जसिसे दवियांगजनों के अधकिार कमज़ोर पड़ सकते हैं ।
- जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव: कई संस्थान और नयिोक्ता RA's प्रदान करने की आवश्यकताओं या लाभों के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हैं । जागरूकता की इस कमी के कारण प्रायः गैर-अनुपालन की स्थतिबिनती है या आवश्यक समायोजन के न्यूनतम प्रयास कयि जाते हैं ।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधति प्रमुख पहलें:

- [वशिष्ट नःशक्तीता पहचान पोर्टल](#)

- दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना
- दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिंग में सहायता की योजना
- दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप
- दविय कला मेला 2023
- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)

RAs को किस प्रकार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है?

- प्रोत्साहन/इसमें टैक्स और लागत साझेदारी:
 - RAs के क्रियान्वयन के लिये संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये एक लागत-साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से उचित समायोजन के मद में होने वाले व्यय पर सब्सिडी प्रदान किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये, सरकार व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिये आवश्यक संरचनात्मक संशोधनों की लागत का एक महत्वपूर्ण भाग का स्वयं वहन कर सकती है, जिससे संस्थानों को सुगम्यता मानकों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
 - कर लाभ, सब्सिडी या कटौती की पेशकश संस्थानों को सक्रिय रूप से RAs प्रदान करने के लिये प्रेरित कर सकती है।
- दवियांगजनों के लिये राष्ट्रीय कोष का लाभ उठाना:
 - दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गठित राष्ट्रीय दवियांगजन कोष में पर्याप्त, लेकिन अभी तक कम उपयोग किये गए संसाधन मौजूद हैं। इन संसाधनों का उपयोग कर RAs को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 - इस कोष की धनराशि को सुपरभाषित मानदंडों के आधार पर वविकपूर्ण तरीके से वितरित किया जाना चाहिये, जहाँ उच्च प्रभावपूर्ण परियोजनाओं और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- अभिवृत्तिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन:
 - दवियांगजनों के बारे में व्याप्त रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं को चुनौती देने के लिये नियोक्ताओं, कर्मचारियों और आम जनता के बीच व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।
 - उन संस्थाओं के सफल उदाहरणों को प्रदर्शित किया जाए जिनोंने RAs को क्रियान्वित किया है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- वधिक एवं नीतगत ढाँचा:
 - दवियांगता कानूनों के गैर-अनुपालन के लिये कठोर दंड लागू किये जाएँ। अनुचित बोझ (undue burden) का निर्धारण करने के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किये जाएँ ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।
 - दवियांगता कानूनों के अनुपालन की नगिरानी करने तथा संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए।

अभ्यास प्रश्न: दवियांगजनों के अधिकारों के संदर्भ में उचित समायोजन (RAs) की अवधारणा और इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। भारत में उचित समायोजन को लागू करने की राह की प्रमुख चुनौतियों और इन चुनौतियों से निपटने के लिये उठाए जा सकने वाले नीतगत उपायों का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

?????:

प्रश्न: क्या वकिलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में इच्छति लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चति करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reasonable-accommodations-a-welfare-based-approach>

